>

Title: The Minister of Rural Development laid the statement Status of implementation of components of Bharat Nirman, Indra Gandhi National old Age Pension Scheme IGNOAPS), swarjayanti Grame Swarazgar Yojana (SGSY) and Total Sauitation Compaign (TSC).

* m01

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :-

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त प्रगतिशील सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के क्रम में सरकार ने वर्ष 2005-2009 के दौरान चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के विस्तार के लिए कार्रवाई की एक समयबद्ध लक्षित कार्य योजना की अवधारणा तैयार की है। इसमें 1,74,000 करोड़ रु. के कुल निवेश का अनुमान है।

भारत निर्माण के 6 घटकों में से ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नामक तीन घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसमें 85000 करोड़ रु. के कुल निवेश का अनुमान है।

मुझे इस सदन को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2005 से अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन तीनों घटकों के लिए 61204 करोड़ रु. का उपयोग किया है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 13492.35 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। घटक-वार लक्ष्य, उपलब्धियां तथा मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत भारत निर्माण की समयावधि के दौरान 48000 करोड़ रु. के निवेश की योजना थी जिसमें से 28444 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 8579 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। 156185 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-10001/08.

के लक्ष्य की तुलना में 69276 कि.मी. नई सड़कें बना ली गई हैं तथा 23224 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जहाँ तक उन्नयन का सवाल है 194130 कि.मी. सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य

की तुलना में 121247 कि.मी. सड़कों का उन्नयन कर लिया गया है तथा 72878 कि.मी. सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

भारत निर्माण के अंतर्गत 59564 बसावटों को जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में 23276 बसावटों को जोड़ दिया गया है तथा 19019 बसावटों को जोड़ने का कार्य चल रहा है।

ग्रामीण सड़कों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध किए गए हैं। जनसूचना बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से जन-प्रतिनिधियों को शामिल करके जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास के अंतर्गत 11100 करोड़ रु. के निवेश के लक्ष्य की तुलना में भारत निर्माण अवधि के दौरान अब तक 13259 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए हैं तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 1915 करोड़ रु. रिलीज किए जाने का प्रस्ताव है। 60 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 59.32 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा 16.20 लाख मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "स्थाई आईएवाई सूची" की प्रणाली शुरू की गई है।

मैदानी क्षेत्रों में मकानों की प्रति इकाई लागत को बढ़ाकर 35000 रु. तथा पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 38500 रु. कर दिया गया है।

ग्रामीण जल आपूर्ति

पेय जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत 25300 करोड़ रु. के लक्षित निवेश की तुलना में अब तक 19501 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है तथा इस वित्त वर्ष के ्एत तक 2998.35 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई/पुरानी स्थिति में लौट चुकी/गुणवत्ता प्रभावित 603639 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 463780 बसावटों को कवर कर लिया गया है तथा शेष 139859 बसावटों पर कार्य चल रहा है।

जल गुणवत्ता का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्ि◌ित करने के ◌ा।लए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता निगरानी तथा पर्यवेक्षण कार्यवूड्ढम शुरू किया गया है। जल गुणवत्ता समस्या से निपटने के ◌ा।लए देश के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के ◌ा।लए केन्द्रित निधियों के ◌ा।लए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत संतोष है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण की कार्य योजना के अनुसार कार्य किया है तथा पूर्ण समर्पण तथा प्रतिबद्धता की भावना के साथ उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्◌ृEपया जल सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से गहन निगरानी के जरिए ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता दें।

–

(b) Status of implementation of Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हः-

मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) 19.11.2007 को शुरू की गई थी। केन्द्रीय सहायता के पात्रता मानदंड को संशोधित किया गया था, ताकि केवल निराश्रितों को देने की बजाय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा सके। तदनुसार, सभी राज्यों से लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या का निर्धारण करने के लिए कहा गया है। की गई अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2006-07 के दौरान एनओएपीएस के अंतर्गत 87 लाख लाभार्थियों की तुलना में बढ़कर 143 लाख तक पहुंच गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एनएसएपी का बजटीय आबंटन 3500 करोड़ रु. है जिसमें से 2625.39 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं और 1471.96 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 200 रु. के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी जाती है, इसके साथ ही राज्य सरकारों को इसके समान ही अंशदान करने के लिए कहा जाता है। गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, प. बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी की राज्य सरकारें प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 200 रु. या इससे अधिक का अंशदान कर रही हैं।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No LT 10002/08

विभिन्न राज्यों द्वारा शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा केन्द्रीय सहायता सहित इन लाभार्थियों को दी गई पेंशन की राशि इस वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है।

वर्तमान में पेंशन का वितरण विभिन्न साधनों अर्थात नकद, मनीआर्डर, लाभार्थियों के बैंक और डाकघर खातों के जरिए किया जाता है। जारी बैलेंस अकांट खोल कर लाभार्थी के बैंक/डाकघर खातों के जरिए पेंशन वितरित करने के प्रयास चल रहे हैं। पेंशन के वितरण को आसान बनाने के लिए लाभार्थियों के डाटाबेस का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है और इससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निगरानी को बेहतर बनाने के अलावा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की संस्थाओं के माध्यम से सरकार के इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की निगरानी करें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में

ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में उल्लिखित विवरण

2006-2007 तथा 2008-2009 (अब तक) के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के

अंतर्गत लाभार्थियों की कवरेज तथा दी गई पेंशन राशि

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-2007 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	2008-09 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय सहायता सहित प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन की दर (रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	466000	919230	200
2	बिहार	904916	1601436	200
3	छत्तीसगढ़	201345	449501	300
4	गोवा	3409	2687	1000
5	गुजरात	40117	64932	400
6	हरियाणा	95800	130306	300
7	हिमाचल प्रदेश	41342	70871	300
8	जम्मू और कश्मीर	66038	72038	200
9	झारखंड	366236	643003	400
10	कर्नाटक	533334	769463	400
11	केरल	134409	141956	235
12	मध्य प्रदेश	453620	1396213	275

13	महाराष्ट्र	742561	845835	500
14	उड़ीसा	643400	643400	200
15	पंजाब	45853	166689	450
16	राजस्थान	418566	466629	400
17	तमिलनाडु	494996	988761	400
18	उत्तर प्रदेश	1576481	2833204	300
19	उत्तराखंड	65752	93998	400
20	प. बंगाल	467846	956153	400
21	अरूणाचल प्रदेश	12923	14500	200
22	असम	628949	628949	250
23	मणिपुर	43619	72514	200
24	मेघालय	33446	18740	200
25	मिजोरम	40525	23747	250
26	नागालैंड	28053	28053	200
27	सिक्किम	14869	15169	400
28	त्रिपुरा	83972	136592	300
29	अ.व नि. द्वीप समूह	702	702	500
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	84000	94000	1000
31	चंडीगढ़	4350	4036	450
32	दादर व नागर हवेली	1132	6956	200
33	दमन व दीव	246	630	200
34	लक्षद्वीप	36	142	300
35	पांडिचेरी	3566	3356	600
	कुल	**8712409**	**14304391**	

(c) Implementation of swarnjayanti gram swarozgar yojana (SGSY)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन की स्थित के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के लिए एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) गरीबों को स्व-सहायता समूहों में सगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। एसजीएसवाई का निश्चित उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय में सुधार लाना तथा साथ ही साथ स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों की उपयुक्तता के अनुसार निचले स्तर पर डिजाइन में लोचनीयता प्रदान करना है। एसजीएसवाई का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय सर्जक परिसंपति प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना है।

2. एसजीएसवाई विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करती है। तदनुसार, स्वरोजगारियों में से कम से कम 50औ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं, 40औ महिलाएं, 3औ विकलांग तथा 15औ अल्पसंख्यक हैं।

3. एसजीएसवाई के लिए निधियों में केन्द्र तथा राज्य के बीच हिस्सेदारी 75 ः 25 (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 ः 10) के आधार पर है। वर्ष 2008-09 के लिए एसजीएसवाई बजट आवंटन 2150.00 करोड़ रुपए है। इसमें से अब तक 1248.47 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।

4. प्रारंभ से लेकर अक्टूबर, 2008 तक 31.35 लाख स्व-सहायता समूह गठित किए गए जिनमें से 25.30 लाख स्व-सहायता समूह महिला स्व-सहायता समूह हैं जोकि एसजीएसवाई के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या का 80.71औ है। इस अवधि के दौरान कुल 110.31 लाख स्व-रोजगारियों की सहायता की गई तथा कुल 24374.66 करोड़ रु. का निवेश किया गया। कुल स्व-रोजगारियों में से 61.61 लाख महिला स्वरोजगारियों की सहायता की गई जोकि कुल संख्या का 53.88औ है।

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No LT-10003/08)

5. "स्व-सहायता समूहों के सर्वव्यापीकरण" के माध्यम से 11वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक बीपीएल परिवार के कम से कम 1 सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल करने का प्रस्ताव है। मौजूदा 31 लाख स्व-सहायता समूहों के अलावा ओर 23 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बनाने की योजना है।

6. मंत्रालय ने "वर्ष 2015 तक भारत में गरीबी उन्मूलन - ग्रामीण परिवार केन्द्रित कार्यनीति" नामक एक मसौदा दस्तावेज तैयार किया है। इस मसौदे की प्रति को माननीय सांसदों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए भेजा गया है।

7. लघु उद्यम शुरू करने तथा मजदूरी रोजगार के सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण बीपीएल युवाओं को बुनियादी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक-एक ग्रामीण विकास स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरयूडीएसईटीआईस्) के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान के जरिए एसजीएसवाई के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण घटक को मजबूत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 आरयूडीएसईटीआईस् खोलने का प्रस्ताव है जिसमें चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान 100 आरयूडीएसईटीआईस् शामिल हैं।

8. विभिन्न सरकारी विभागों से अपनी हकदारी प्राप्त करने के लिए उनकी मोल-तोल क्षमता को बढ़ाने तथा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर स्व-सहायता समूहों का परिसंघ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों का परिसंघ बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय परिषद तथा एक तदर्थ राष्ट्रीय परिसंघ की स्थापना की गई है। इस समय ग्राम पंचायत स्तर पर 71136, मंडल स्तर पर 1098, ब्लॉक स्तर पर 399 तथा जिला स्तर पर 186 परिसंघ हैं।

9. एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं का पुनर्गठन किया गया है ताकि उन्हें जो वस्त्र, निर्माण, आतिथ्य-सत्कार, सुरक्षा, आटोमोबाइल, स्वास्थ्य, सेवाएं इत्यादि जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे क्षेत्रों में कौशल आधार के निमनतम स्तर पर व्यापक रोजगार अवसरों का उपयोग करने के लिए कौशल विकास एव प्लेसमेंट परियोजनाओं तक सीमित रखा जा सके। इसका उद्देश्य वर्ष 2015 तक लगभग 1.7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल लोगों की एक कुशल श्रम शक्ति तैयार करना है।

10. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस हाट के निर्माण के लिए जसौला, नई दिल्ली में लगभग 2 एकड़ जमीन खरीदी है। स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन तथा विक्रय के लिए राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में एक सरस गैलरी किराए पर ली गई है। दिल्ली हाट, पीतमपुरा, नई दिल्ली में 44 स्टॉल किराए पर लिए गए हैं जो एसजीएसवाई के स्वरोजगारियों के भाग लेने के लिए राज्यों को आवंटित किए गए हैं। प्रगति मैदान में स्थायी स्टाल भी बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राज्य की राजधानी सहित महत्वपूर्ण शहरों में स्थायी विपणन केन्द्र बनाने के लिए मंत्रालय को अपने प्रस्ताव भेजे। राज्य सरकारें इस तरह के विपणन केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय विपणन केन्द्रों के निर्माण की लागत वहन करेगा। 9 राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए ऐसे विपणन केन्द्रों की मंजूरी दी गई है। ये केन्द्र वर्ष भर स्थायी आधार पर ग्रामीण उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करेंगे।

(d) Status of implementation of total sanitation campaign(TSC)

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह)ः अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं-

संपूर्ण स्वच्छता अभियान इस सरकार के 8 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले चार वर्षों के दौरान इस अभियान की प्रगति बहुत बढ़िया रही है। आज की स्थिति के अनुसार, देश के 590 ग्रामीण जिलों में 14014 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें केंद्रीय हिस्सा 8823 करोड़ रु. है। इसमें से 10 दिसम्बर, 2008 तक 3629 करोड़ रु. जिलों को रिलीज किए गए हैं। 11वीं योजना के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 7816 करोउ रु. का केंद्रीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए 1100 करोड़ रु. शामिल हैं। सरकार ने 11वीं योजना में ही उक्त संपूर्ण प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है, ताकि वर्ष 2012 तक ग्रामीण भारत में संपूर्ण स्वच्छता हासिल की जा सके। वार्षिक बजटीय सहायता 2003-04 में 202 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2008-09 में 1200 करोड़ रु. कर दी गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के स्तर में वृद्धि तथा उच्चतर संसाधन आबंटन से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार हुआ है। 2001 की जनगणना संबंध आंकड़ों के अनुसार, केवल 21.9औ ग्रामीण परिवारों को शौचालक की सुविधा उपलब्ध है।

* Speech was laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-10,004/08

1999 से लेकर अब तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए 4.91 करोड़ शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि 7.23 लाख विद्यालय शौचालयों और 2.27 लाख आंगनवाड़ी शौचालयों का

निर्माण किया गया है। इसके फलस्वरूप, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2001 में 21.9औ से बढ़कर 10 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार लगभग 58.71औ हो गया है। बजटीय आबंटन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिए जाने से उन परिवारों जिन्हें वार्षिक आधार पर शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, की संख्या 2002-03 में 6.62 लाख से बढ़कर 2006-07 में 98.7 लाख हो गई है। वर्ष 2007-08 में ग्रामीण परिवारों को 1.15 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार पहली बार एक करोड़ की सीमा को पार किया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने शौचालयों के निर्माण की लागत को 1500/- रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. कर दिया गया है। यह इस सरकार द्वारा 2004 के बाद से की गई दूसरी बढ़ोतरी है। वर्ष 2004 में यह यूनिट लागत केवल 625/- रु. थी जिसे 2006 में बढ़ाकर 1500/- रु. किया गया था। इस बढ़ोतरी के तहत किसी लाभार्थी पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है, उसके द्वारा केवल 300/- रु. के भुगतान को जारी रखा गया है। केंद्र द्वारा बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 900.00 रुपए से बढ़ाकर 1500.00 रु. कर दी गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान में सामुदायिक एवं व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कार्यक्रम में स्वच्छता सुविधाओं की मांग करने के संबंध में सूचना, शिक्षा तथा संचार पर जोर दिया गया है। इसमें किशोरावस्था से ही लोगों के व्यवहार मे परिवर्तन हेतु विद्यालय स्वच्छता एवं सफाई संबंधी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। टीएससी के घटकों में स्टार्ट-अप कार्यकलाप, आईईसी, वैयक्तिक परिवार शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, विद्यालय स्वच्छता तथा सफाई संबंधी शिक्षा, आंगनवाड़ी शौचालय आदि शामिल हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केन्द्रों और प्रशासनिक परिवर्तनों के रूप में वैकल्पिक डिलीवरी पद्धति की भी व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2006 में गांवों में ठोस/द्रव अपशिष्ट निपटान के घटक को टीएससी परियोजनाओं मे शामिल किया गया था जिसमें प्रत्येक जिले की परियोजना लागत की 10औ राशि उपलब्ध कराई जाती है। डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए तथा ग्रामीण स्वच्छता के माध्यम से व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण तथा साफ-सफाई के लिए ठोस एवं द्रव अपशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य दिसंबर, 2008 तक सभी विद्यालयों में, मार्च 2009 तक मूत्रालयों एवं शौचालयों की व्यवस्था करना भी है। बनाई जा रही डिजाइनें किफायती एवं वहनीय तो हैं किन्तु ये शहरी शौचालयों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं जिससे जल एवं द्रव निपटान की प्राकृतिक व्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुँचता है।

स्वच्छता को बढ़ावा देने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार नागम वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह पुरस्कार उन पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शत-प्रतिशत खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति पाई हो। निर्मम ग्राम पुरस्कार की अवधारणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग तथा सामुदायिक जागरण के अद्भूत साधन के रूप में सराहना की गई है और इससे स्वच्छता जैसे कठिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत का उसके आसपास के गांवों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अर्थात् इस अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी जारी रही है। निर्मल ग्राम पुरस्कार ने देश भर में पंचायत के मुखियों में स्वच्छता की भावना जागृत किया है और उन्हें स्वच्छता का चैंपियन बना दिया है। 2005 के बाद से ग्रामीण स्वच्छता की कवरेज में इससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को पुरस्कार मिले हैं-

- 2005- 36 ग्राम पंचायत और 02 ब्लॉक पंचायत।
- 2006- 760 ग्राम पंचायत और 09 ब्लॉक पंचायत, 04 संस्थान।
- 2007- 4945 ग्राम पंचायत और 14 ब्लॉक पंचायत, 09 संस्थान।
- 2008- 12075 ग्राम पंचायत और 09 ब्लॉक पंचायत, 08 जिला पंचायत।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 को अंतराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष का मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुदाय को स्वच्छता का सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने का प्रति प्रेरित करना था। स्वच्छता स्वास्थ्य, गरिमा और विकास की आधारशिला है। विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए बढ़ती हुई स्वच्छता सुविधाएं सभी के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) प्राप्त करने का मूल आधार है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान में एमडीजी के उद्देश्य 07 के लक्ष्य 10 को हासिल करने का प्रावधान किया गया है जिसमें 2015 तक उचित स्वच्छता सुविधाविहीन लोगों में से आधे लोगों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया

कराने का लक्ष्य रखा गया है। सतत् बजटीय सहायता से, निर्मल ग्राम पुरस्कार को जारी रखकर और राज्यों में कार्यान्वयन की दर को बहाल रखते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों से पहले ही 2012 तक पूर्ण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारत की मेजबानी में "गरिमा और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता" विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 16-21 नवम्बर, 2008 को स्वच्छता पर तीसरा दक्षिण एशियाई सम्मेलन (सैकोसैन) का आयोजन किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति सरकार की उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता दर्शाते हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सैकोसैन दक्षिण एशिया पूर्णतः स्वच्छता के लिए आयोजित किया जाने वाले उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रालयी सम्मेलन है।

सैकोसैन का लक्ष्य है सहस्राब्दी विकास का लक्ष्य तथा धारणीय विकास के संबंध में विश्व शिखर सम्मेलन में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दक्षिण एशिया में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की प्रगति को तेज करना। सैकोसैन- III सम्मेलन मे विश्व भर के 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैकोसैन के सदस्य देशों ने इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार किया तथा दिल्ली घोषणा-पत्र तैयार किया जिसमें भविष्य की कार्ययोजना तथा सदस्यों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई।

सैकोसैन- III सम्मेलन को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे दुनियाभर से आए स्वच्छता क्षेत्र के कई विख्यात विशेषज्ञों ने संबोधित किया। दुनिया भर से आए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा 70 से अधिक तकनीकी दस्तावेजों का विषयवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

इन क्रियाकलापों के साथ ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है तथा वर्ष 2012 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सदन का तथा सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

-